संख्या: 1:05:138:I:सीएस
दिनांक: 14.05.2025

National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), **मुंबई-400 051**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई-400001**

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 30 के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13.05.2025 के आदेश के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में श्री भास्कर भट्टाचार्य की पुनर्नियुक्ति की सूचना निम्नानुसार दी है:-

परिवर्तन के लिए कारण	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(वॉल्यूम.III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 13.05.2025 के तहत कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार श्री भास्कर भट्टाचार्य को इनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है।
नियुक्ति की तिथि	13.05.2025
संक्षिप्त परिचय	66 वर्षीय श्री भास्कर भट्टाचार्य वाणिज्य में ऑनर्स ग्रेजुएट और कानून में स्नातक हैं। इनके पास बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। ये 30 से अधिक वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हुगली टैक्स एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के सदस्य हैं। इन्होंने निबेदन नामक एक गैर सरकारी संगठन में महासचिव के रूप में भी काम किया है। ये तीन साल की अवधि के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक रहे हैं। निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने ऑडिट कमेटी, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य और बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है।
निदेशकों के बीच संबंध	नगण्य

इसके अलावा, हम आपको यह भी सूचित करना चाहेंगे कि श्री भास्कर भट्टाचार्य द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार, इन्हें सेबी या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी के किसी आदेश के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है।

यह आपकी जानकारी एवं रिकार्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com